<u>प्रकरण संख्या 30/18 व 31/18 तोलिया बनाम पीथा</u>

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.02.2020	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार मूल पुरूष मडिया जी होकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उनके पौत्र हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार ग्राम घाटा में आराजी नंबर 42, 94, 101, 273, 275 व 276 कुल किता 7 रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त आराजियात मडिया जी की होने से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत होना चाहिए था, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम ही दर्ज हुआ है। अतः वाद वर्णित भूमियों में वादीगण को संयुक्त खातेदार घोषित किया जाकर विभाजन किया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 22.05.2017 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्पश्चात दिनांक 03.07.2018 को प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की गयी। उक्त प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 11.12.2018 को प्रस्तुत की गयी है। अपीलें दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री राजीव जोशी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 औपचारिक पक्षकार की ओर पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा दोनों अपीलों के साथ दफा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन सशपथ प्रस्तुत किये गये। चुंकि अधिनस्थ न्यायालय में वक्त निर्णय अपीलान्ट की उपस्थिति या उसे सूचना दिये जाने की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः न्यायहित में दफा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। गुणावगुण पर बहस करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि राजस्व कैम्प की कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गयी, जिससे वह	

	मौके पर उपस्थित नहीं हो सके। वादग्रस्त आराजियात मडिया की नहीं होकर अपीलान्ट के पिता जवता जी के खातेदारी की है, जिससे रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सूचना दिये बिना कैम्प में निर्णय पारित कर दिया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। अतः अपीलें स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने कैम्प में प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे। हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 19.04.2017 को प्रतिवादी के जवाब में रखा गया, किन्तु बिना अपीलान्ट/प्रतिवादी का जवाब लिये एवं उन्हें बिना सुने उक्त दिनांक के स्थान पर प्रकरण सीधे ही दिनांक 22.05.2017 को राजस्व लोक अदालत में रखकर मात्र रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण की उपस्थिति में वाद स्वीकार कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। जहां तब अंतिम डिक्री का प्रश्न है, जब प्रारम्भिक डिक्री ही त्रुटि पूर्ण है तो उसके आधार पर जारी अंतिम डिक्री स्वतः त्रुटि पूर्ण हो जाती है। वैसे भी विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने की अपीलान्ट को सूचना दिये जाने की कोई साक्ष्य नहीं है। तद्नुसार उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर जारी अंतिम डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 22.05.2017 व अंतिम डिक्री दिनांक 03.07.2018 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.04.2020 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (एम.एल. चौहान) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.03.02 13:29:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: